उत्तर प्रदेश शासन
दुग्ध विकास अनुभाग-2
संख्या-12/2018/728/53-2-18-15(बजट)/2016
लखनऊ: दिनांक 07 मई, 2018

शुद्धि-पत्र

कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83(जिला योजना-एस0सी0पी0) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-10/2018/653/53-2-18-15(बजट)16, दिनांक 27 अप्रैल,2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि रू0 110.88 लाख (रू0 एक करोड दस लाख अटठासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 27.04.2018 के संलग्नक के क्रमांक-05 जनपद अलीगढ के स्तम्भ-11 में धनराशि रू0 187.50 हजार के स्थान पर रू0 10.00 हजार एवं स्तम्भ-14 में कुल धनराशि रू0 325.50 हजार के स्थान पर कुल धनराशि रू0 148.00 हजार तथा क्रमांक-41 जनपद गोरखपुर के स्तम्भ-7 में धनराशि रू0 6.00 हजार के स्थान पर रू0 10.00 हजार एवं स्तम्भ-14 में कुल धनराशि रू0 300.00 हजार के स्थान पर 304.00 हजार त्रुटिवश अंकित हो गया है।

2- अत: उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 27.04.2018 के संलग्नक के क्रमांक-05 जनपद अलीगढ के स्तम्भ-11 में धनराशि रू0 10.00 हजार के स्थान पर रू0 187.50 हजार एवं स्तम्भ-14 में कुल धनराशि रू0 148.00 हजार के स्थान पर कुल धनराशि रू0 325.50 हजार तथा क्रमांक-41 जनपद गोरखपुर के स्तम्भ-7 में धनराशि रू0 10.00 हजार के स्थान पर रू0 6.00 हजार एवं स्तम्भ-14 में कुल धनराशि रू0 304.00 हजार के स्थान पर 300.00 हजार पढा जाये।

3- कृपया तदनुसार शासनादेश संख्या-10/2018/653/53-2-18-15(बजट)16, दिनांक 27 अप्रैल,2018 एवं तत् संलग्नक इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

राज कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-12/2018/**728(1)/53-2-2018, तददिनांक।**

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित जिलाधिकारी/ मण्डलायुक्त/ मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7- सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश।
8- सम्बन्धित क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0।
9- सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।
10- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
11- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
12- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ विभाग को बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के पत्र संख्या-07/26-ब0प्रा0-2015, दिनांक-27.03.2015 के सन्दर्भ में प्रेषित।
13- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभार, उत्तर प्रदेश।
14- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
15- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in